रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 31, 2006/भाद्र 9, 1928
No. 409] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 2006/BHADRA 9, 1928

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2006

सा.का.नि. 524(अ).—भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और पेंशन विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 650(अ) के, जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), तारीख 28 अक्तूबर, 2005 में प्रकाशित की गई थी, हिन्दी पाठ में,--

(1) पृष्ठ 1, नियम 2 के खण्ड (घ) में, "प्रकाशित" शब्द के स्थान पर, "पारभाषित" शब्द पढ़ें;

(2) पृष्ठ 2, नियम 4 के खण्ड (ii) में, "निर्भर रहा" शब्दों के स्थान पर, "निर्भर किया" शब्द पढ़ें;

(3) पृष्ठ 3, नियम 7 के उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित करें :-

"(3) जहां आयोग का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यथास्थिति, अपीलार्थी या शिकायतकर्ता आयोग की सुनवाई में उपस्थित होने से निवारित हो रहा है, वहां आयोग कोई अंतिम विनिश्चय किए जाने से पूर्व, यथास्थिति, अपीलार्थी या शिकायतकर्ता को सुनवाई का एक और अवसर प्रदान कर सकेगा या ऐसी कोई अन्य समुचित कार्रवाई कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।"।

(4) पृष्ठ 3, नियम 7 के उप-नियम (3) को उसके उप-नियम (4) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित उप-नियम (4) में, "वाला व्यक्ति विधिक व्यवसायी नहीं होना चाहिए" शब्दों के स्थान पर, "वाले व्यक्ति का विधि व्यवसायी होना आवश्यक नहीं है" शब्द पढ़ें।

[फा. सं. 1/4/2005-आईआर]

सी. बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव

2700 GI/2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.